रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D.L.-33004/99

सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 1, 2011/फाल्गुन 10, 1932
No. 51] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 1, 2011/PHALGUNA 10, 1932

## वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

## जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2011

(निर्णायक समीक्षा)

**विषय : इंडोनेशिया, कोरिया गणराज्य, मलेशिया और चीनी ताइपेई के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पॉलिस्टर के ऑल फुल् ड्रोंन या फुल ओरिएण्टेड यार्न/स्पिन ड्रॉ यार्न/फ्लैट यार्न के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत ।**

**फा. सं. 15/26/2010-डीजीएडी.**—वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात् पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतद्पश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) ने इंडोनेशिया, कोरिया गणराज्य, मलेशिया और चीनी ताइपेई (जिन्हें एतद्पश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पॉलिस्टर के ऑल फुली ड्रोंन या फुल् ओरिएण्टेड यार्न/स्पिन ड्रॉ यार्न/फ्लैट यार्न के आयातों पर 3 जुलाई, 2006 की अधिसूचना सं. 14/3/2005-डीजीएडी के तहत अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी । प्राधिकारी के अंतिम जाँच परिणामों को 26 दिसम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. 14/3/2005-डीजीएडी द्वारा प्रकाशित किए गए थे । अंतिम जाँच परिणाम के पैरा 146 में संशोधन करते हुए 24 जनवरी, 2007 को अंतिम जाँच परिणामों में संशोधन जारी किया गया था जिसमें शुल्क तालिका के कॉलम 2 के उपशीर्ष में संशोधन किया गया था ताकि उसमें उपशीर्ष 5402.44, 5402.46 और 5402.47 को शामिल किया जा सके । अंतिम शुल्क 21 अगस्त, 2006 की सी.शु. अधिसूचना सं. 82/2006 के तहत लागू किया गया था और निश्चात्मक पाटनरोधी शुल्क सी. शु. अधिसूचना सं. 15/2007 के तहत 20 फरवरी, 2007 को लागू किया गया था ।

### 2. निर्णायक समीक्षा की शुरुआत

यत: सीमा शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9क(5) के अनुसार यदि पाटनरोधी शुल्क पहले समाप्त न किया जाए तो लगाया गया शुल्क लागू किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएगा और प्राधिकारी द्वारा यह समीक्षा किया जाना आवश्यक है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है । इस संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने डब्ल्यूपी सं. 2006 का 16893 में यह माना था कि निर्णायक समीक्षा अनिवार्य है । इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के अनुसरण में निर्दिष्ट प्राधिकारी एतद्द्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार यह जाँच करने के लिए निर्णायक समीक्षा की शुरुआत करते हैं कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है ।

### 3. विचाराधीन उत्पाद

मूल जाँच में और जारी किए गए अंतिम जाँच परिणाम में शामिल उत्पाद "पॉलिस्टर के ऑल फुलि ड्रोंन या फुल् ओरिएण्टेड यार्न/स्पिन ड्रॉ यार्न/फ्लैट यार्न पॉलिस्टर के ऑल फुली ड्रोंन या फुल् ओरिएण्टेड यार्न/स्पिन ड्रॉन यार्न/फ्लैट यार्न (नॉन टेक्सचर्ड तथा नॉन

पीओवाई) और सीमा-शुल्क शीर्ष 5402.42 के टैरिफ विवरण के अनुरूप अन्य यार्न हैं ।" इसमें बाद में 24 जनवरी, 2007 की संशोधन अधिसूचना द्वारा संशोधन किया गया था ताकि सीमा-शुल्क उप-शीर्ष 5402.44, 5402.46 और 5402.47 को शामिल किया जा सके । वर्तमान निर्णायक समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद वही है जिसका उल्लेख 26 दिसम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. 14/3/2005-डीजीएडी के तहत जारी अंतिम जाँच परिणामों तथा 24 जनवरी, 2007 की संशोधन अधिसूचना में उल्लेख किया गया है (जिसे एतद्पश्चात् संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) । उक्त सीमा-शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और संबद्ध जाँच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है । वाणिज्यिक भाषा में उपर्युक्त उत्पाद को सामान्य तौर पर "फुली ड्रॉन यार्न" के रूप में जाना जाता है । संबद्ध वस्तु का उपयोग परिधान/घरेलू वस्त्रों तथा अन्य औद्योगिक वस्त्रों के विनिर्माण में किया जाता है । संबद्ध वस्तु के तकनीकी विनिर्देशनों को उसके डेनियरों, लोचशीलता, चमक, रंग (यथा धुंधला, चमकीला, अधिक चमकीला, अत्यधिक धुंधला, डोप डायड) अनुप्रस्थ काट और सिकुड़न के संबंध में परिभाषित किया जाता है ।

**4. प्रक्रिया**

(i) इस जाँच से यह निर्धारण होगा कि क्या उपाय को समाप्त किए जाने से पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है । प्राधिकारी यह जाँच करेंगे कि क्या शुल्क को सतत रूप से लागू रखना, पाटन को समाप्त करने के लिए आवश्यक है और क्या शुल्क को समाप्त किए जाने या उसकी राशि में घट-बढ़ किए जाने या दोनों स्थितियों में क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है ।

(ii) इस समीक्षा में 26 दिसम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. 14/3/2005-डीजीएडी और 24 जनवरी, 2007 की अधिसूचना सं. 14/3/2005-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल होंगे ।

(iii) इस जाँच में शामिल देश इंडोनेशिया, कोरिया गण., मलेशिया और चीनी ताईपेई हैं ।

(iv) वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जाँच अवधि । जनवरी, 2010 से 31 दिसम्बर, 2010 तक की है । तथापि, क्षति जाँच अवधि में अप्रैल, 2007—मार्च, 2008, अप्रैल, 2008 मार्च, 2009, अप्रैल, 2009—मार्च, 2010 की अवधि और जाँच अवधि शामिल होगी ।

(v) उपर्युक्त नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित इस समीक्षा पर लागू होंगे ।

**5. सूचना प्रस्तुत करना**

घरेलू उद्योग द्वारा शुल्क जारी रखने की आवश्यकता का साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए इस अधिसूचना के जारी होने से चालीस दिन (40 दिन) के भीतर निर्धारित प्रपत्र (घरेलू उद्योग हेतु आवेदन) में इस आशय से संबंधित सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि पहले से लागू शुल्क की समाप्ति से पाटन तथा क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना है ।

संबद्ध देश के निर्यातकों और भारत स्थित उसके दूतावास के जरिए उसकी सरकार, भारत में संबंधित समझे जाने वाले प्रयोक्ताओं को निर्धारित स्वरूप एवं ढंग से संगत सूचना उपलब्ध कराने तथा प्राधिकारी को निम्नलिखित पते पर अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है :

निर्दिष्ट प्राधिकारी

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी)

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

अन्य कोई हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से जाँच से संगत निवेदन कर सकता है । प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय निवेदन प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकारों हेतु उसका एक अगोपनीय रूपांतर प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा ।

**6. समय सीमा**

घरेलू उद्योग से सूचना प्रस्तुत होने पर, सभी हितबद्ध पक्षकारों, जिनके पते उपलब्ध हैं, को इस पत्र के जारी होने की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर ऊपर उल्लिखित पते पर प्राधिकारी को लिखित में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की सलाह एक पत्र के जरिए दी जाएगी । कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार जिनके पते उपलब्ध न हों, भी इस अधिसूचना की तारीख से 40 दिनों के भीतर टिप्पणियां/सूचना प्रस्तुत कर सकता है । इस प्रयोजनार्थ आवेदन के अगोपनीय रूपांतर को सार्वजनिक फाइल में रखा जाएगा । यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा अधूरी सूचना प्राप्त होती है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त नियमावली के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं ।

**7. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है । यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उचित अवधि के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जाँच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।

विजयलक्ष्मी जोशी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

**INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st March, 2011

**(Sunset Review)**

**Subject : Initiation of Sunset Review on anti-dumping duty imposed on imports of all Fully Drawn or Fully Oriented Yarn/Spin Draw Yarn/Flat**

**Yarn of Polyester originating in or exported from Indonesia, Republic of Korea, Malaysia and Chinese Taipei**

**F. No. 15/26/2010-DGAD.**—Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, (hereinafter referred to as AD Rules), the Designated Authority (hereinafter referred to as Authority) recommended imposition of provisional antidumping duty on imports of all Fully Drawn or Fully Oriented Yarn/Spin Draw Yarn/Flat Yarn of Polyester originating in or exported from Indonesia, Republic of Korea, Malaysia and Chinese Taipei (hereinafter referred to as subject countries) *vide* notification No. 14/3/2005-DGAD dated 3rd July, 2006. The final findings of the Authority were published vide 14/3/2005-DGAD dated 26th December, 2006. An amendment to the final findings was issued on 24th January, 2007 amending para 146 of the final findings where subheading under column 2 of duty table was amended to incorporate customs subhead 5402.44, 5402.46 and 5402.47. The provisional duty was imposed *vide* Customs Notification No. 82/2006 on 21st August, 2006 and definitive anti-dumping duty was imposed on 20th February, 2007 *vide* Customs Notification No. 15/2007.

**2. Initiation of Sunset Review**

Whereas in terms of Section 9A(5) the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995, the antidumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review, whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In this regard, Hon'ble Delhi High Court in WP No. 16893 of 2006 held that sunset review is mandatory. Therefore, the Authority hereby initiates sunset review in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 of Antidumping Rules to examine whether cessation of the duty would lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

**3. Product under Consideration**

The product involved in the original investigation the final findings of which was issued on 26th December 2006 is "All Fully Drawn or Fully Oriented Yarn/Spin Draw Yarn/Flat Yarn of Polyester (non-textured and non-POY) and other yarns conforming to the tariff description of customs heading 5402.42" which was subsequently amended to incorporate customs sub-heading 5402.44, 5402.46 and 5402.47 via amendment notification dated 24th January, 2007. The product under consideration in the present sunset review is same as mentioned in the final findings *vide* notification no 14/3/2005-DGAD dated 26th December, 2006 and amendment notification dated 24th January, 2007 (hereinafter also referred to as subject goods). The customs classifications are indicative only and are in no way binding on the scope of this investigation. The above-mentioned product in commercial market parlance is generally known as 'Fully Drawn Yarn'. The subject goods are used for manufacture of apparel/household textiles, and other industrial textiles. Technical specifications of the subject goods are defined in terms of their deniers, tenacities, lustres, colours (like semi-dull, bright, super bright, full dull, Dope dyed), cross section and shrinkage.

**4. Procedure**

(i) The investigation will determine whether the expiry of the measure would be likely to lead to a continuation or recurrence of dumping and injury. The authority will examine whether the continued imposition of the duties is necessary to offset dumping and whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both.

(ii) The review will cover all aspects of Notification No. 14/3/2005-DGAD dated 26th December, 2006 and Notification No. 14/3/2005-DGAD 24th January, 2007.

(iii) The countries involved in this investigation are Indonesia, Korea RP, Malaysia and Chinese Taipei.

(iv) The period of investigation for the purpose of the present review is from 1st January, 2010 to 31st December, 2010. The injury investigation period will however cover the periods April, 2007-March, 08, April, 2008-March 2009, April, 2009-March 2010 and the POI.

(v) The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rule supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

**5. Submission of Information**

The Domestic industry is to submit necessary information as required along with the information on likelihood of continuance or recurrence of dumping and injury or both substantiating the need for continuation of duty within forty days (40 days) from the issue of this notification.

The exporters in subject country, their government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned would be addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address :

The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties (DGAD)
Department of Commerce
Ministry of Commerce & Industry
Udyog Bhavan, New Delhi-110011

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

**6. Time Limit**

On receipt of information from domestic industry, all interested parties, whose addresses are available, would be advised through a letter to offer their comments in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of issuance of such letter. Any other interested party, whose address is not available, may also submit comments/ information within 40 days from date of the response of the Domestic industry. For this purpose, non-confidential version of the application would be placed in the public file. If no information is received within the prescribed time limits or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

**7. Inspection of Public File**

In terms of Rules 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

VIJAYLAXMI JOSHI, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.